बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

विभागीय आदेश ज्ञापांक 107/स0 दिनांक 15.04.2020 एवं आदेश ज्ञापांक 133/स0 दिनांक 05.05.2020 के प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की तबियत ठीक नहीं है, वे कार्यालय नहीं आएँगे और इसकी सूचना दूरभाष पर अपने नियंत्री पदाधिकारी को देंगे। खाँसी, जुकाम एवं बुखार जैसे मामलों में नियंत्री पदाधिकारी से स्पष्ट आदेश प्राप्त कर ही ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी वापस कार्यालय में योगदान देंगे। ऐसे मामलों में अनुपस्थिति अवधि को देय अवकाश के रूप में समायोजित किया जाएगा।

यह आदेश नियमित, संविदा तथा सभी प्रकार के आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मियों पर भी लागू होगा।

सभी कार्यालय प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में भीड़ नहीं हो, सामाजिक दूरी का पूर्ण अनुपालन हो तथा चक्रण के आधार पर ही समूह–'ग' एवं अन्य अधीनस्थ कर्मियों को कार्यालय आने की अनुमति हो।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6/5/20

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक– 135/स0 पटना, दिनांक– 06.05.2020

प्रतिलिपिः– अपर सचिव–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/20

सचिव

ज्ञापांक– 135/स0 पटना, दिनांक– 06-05-2020

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी (तक0)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/20

सचिव

ज्ञापांक– 135/स0 पटना, दिनांक– 06-05-2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6/5/20

सचिव